मदीना vs सद्दीक मोहम्मद 3

249 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/01/25	संक्षेप में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा 20.9.23 को अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय की जारी की गई थी कि अप्रार्थी चक 2DBL के खाता सं. 72/64 में स्वयं के नाम दर्ज 0.506 हैं. भूमि व पिता बरकत अली के नाम दर्ज 1.097 है. में राजस्व रिकार्ड की यथा-स्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 1 के फौत होने के पश्चात् प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 स्वीकार शहनाज पत्नी सदीक मोहम्मद व हादिप पुत्र सदीक मोहम्मद को क्रमश: 1/1 व 1/2 पर बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष दिनांक 16.01.2025 को सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश ... 1) 2021 (2) DNJ (Rev) 99 2) 2023 (1) DNJ (Rev) 532 3) 2022 (3) LAWDIGITAL. IN0389	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:42:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

इस प्रार्थना-पत्र को तीन आधारभूत तत्वों के आधार पर निर्णीत करना समीचीन समझते है -

1) प्रथम दृष्टया मामला :-

प्रार्थना-पत्र में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् $^{72}/_{64}$ चक 2 DBL, जन्म प्रमाण-पत्र मदीना, अपंजीकृत दस्तावेज दिनांक 23.8.2023 चित्रप्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र सदीक मोहम्मद, पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.7.22 की चित्रप्रति आदि का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण सदीक मोहम्मद व उसकी प्रथम पत्नी जेबून की संतान है। ~~अर्थात्~~ अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि सदीक मोहम्मद पूर्व में खाता सं. 44/46 में 2 बीघा भूमि अप्रार्थीगण की [illegible] के जरिये दानपत्र दी थी जिसका नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है लेकिन ऐसा कोई पंजीकृत दस्तावेज, नामान्तरण की चित्रप्रति अप्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:12:33 IST
Reason: SelfAttested

2023/249

5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चूंकि प्रार्थीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा. का.अ. न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपने हक व हिस्से की घोषणा चाही है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रार्थीगण का अपने पिता के नाम दर्ज आराजी में कितना हक व हिस्सा है, का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखना न्यायालय का दायित्व है।	
	2) सुविधा का सन्तुलनः न्यायालय के अभिमत में वाद के लम्बित रहने के दौरान वादग्रस्त आराजी को रहन-बैय, अंतरित किया है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी एवं वाद-बाहूल्यता की सम्भावना ब...	
	3) अपूर्णनीय क्षतिः अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य है ऐसी तात्विक क्षति जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:12:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सकती है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्व हुये है अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा 20.09.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल-दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया 28.01.25 Signature Not Verified Digitally signed by Mangi Lal Date: 2025.04.15 10:12:33 IST Reason: SelfAttested एवं ... हनुमान...